ॐ

आर्य समाज बिजनौर

के

सम्बन्ध में

श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त
प्रान्त आगरा व अवध का
फ़ैसला।

लेखक तथा प्रकाशक:—
चौधरी रघुराज सिंह प्रधान
ला० गंगा शरण रस्तौगी मंत्री
आ० स० बिजनौर।

मुद्रक:—बहोरा सिंह   सन १९३३ ई०

शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस मुरादाबाद में छपा।

ओ३म्

समाज का प्रारम्भिक जीवन ।

आर्य समाज बिजनौर की स्थापना जून सन १८८३ ई० में महर्षि दयानन्द सरस्वती के जीवन काल में उनके भेजे हुए स्वामी सहजानन्द सरस्वती द्वारा हुई थी। स्वर्गीय राजा जयकृष्ण दास जी मुरादाबाद निवासी जोकि उस समय डिप्टी कलक्टर थे तथा कुंवर भारतसिंह जी इसके वाल्य अवस्था के दिनों ही से इसकी उन्नतिके लिये अनथक परिश्रम करते रहे। फल यह हुआ कि यह समाज प्रांत भर की समाजों में अग्र गिनी जाने लगी। उन दिनों केवल मासिक चन्दे की आमदनी ही २००) रु० होजाती थी। इन दोनों महानुभावों के बाद भी इसकी प्रगति उन्नति की ओर ही रही। सौभाग्य से थोड़े ही दिनों पश्चात इसके उत्साही सभासदों ने एक विशाल भवन भी बनवा लिया और प्रचार कार्य की वह धूम मचाई कि कई प्रान्तों में नाम पालिया। उस समय के सभासदों में सच्ची लगन, सच्चा सेवा भाव, सच्चा प्रेम और सच्चे विचार थे। उनकी सदाचार युक्त जीवनियां दूसरों के लिये वास्तव में अनुकरणीय थीं। उनमें पदलोलुपता, स्वार्थ परता, डिप्लोमैसी, और नुमायश का नाम तक न था। कदाचित

यही कारण उस समय उनकी सफलता का था और इसी लिये जनता विशेषतया समाज की ओर आकर्षित होती थी। प्रति दिन समाज में सभासदों की चहल पहल, साप्ताहिक नगरकीर्तन, शास्त्रार्थ, प्रचार और दृढ़ संगठन बिजनौर के आर्यसामाजिक जीवन को ऐसा आकर्षक बनाये हुए थे कि जिसकी मिसाल मिलना कठिन था।

परन्तु समय की गति परिवर्तन शील है। जहां ऐसी दशा में उत्तरोत्तर उन्नति होनी चाहिये थी वहां अचानक खराबियां पैदा होगईं। कुछ स्वार्थी सज्जन मान प्रतिष्ठा के भूके इसमें आघुसे और उन्हों ने पदोंकी प्राप्ति के हेतु वह सब दोष जिनसे यह समाज मुक्त था पैदा कर दिये। पुराने हितचिंतकों ने उन्हें सेवा का अवसर दिया और उन्हें सच्ची लगन के साथ काम करने की ओर प्रोत्साहित करना चाहा परन्तु उनके विचार तो यह थे कि वह किसी प्रकार समाज में सर्वे सर्वा होकर रहें। थोड़े दिन तक यही रफ़्तार रही परन्तु अन्त को इन लोगों की घृणित वृत्तियों से दुखी होकर पुराने सभासदों ने तटस्थता अख्तयार कर ली और यह लोग मनमानी करने लगे।

बाबू जगन्नाथ शरण जी भूतपूर्व प्रधान व मंत्री जो लगभग १४ वर्ष तक प्रधान व मंत्री पद पर रहे। जबसे बिजनौर पधारे तभी से समाज के वार्षिक निर्वाचनों में पार्टीबन्दी

की झलक दिखाई देने लगी। थोड़े दिन मंत्री पदपर रहने के उपरान्त आप १९१४ के लगभग प्रधान पद पर आरूढ़ होगये। आपके प्रधान पदपर आरूढ़ होते ही किसी पुराने सभासद के प्रति घृणा का प्रस्ताव हुआ किसी पर कुछ दोष लगा इसी प्रकार शनैः २ वह सब लोग जिन्होंने इस समाज के वाल्य काल से निस्वार्थ सेवाएं की थीं प्रथक हो गये। उनके स्थानों की पूर्ति अपनी इच्छानुसार अपनी पसन्द के सभासदों द्वारा की गई। फल वही हुआ जो ऐसी अवस्था में होसकता था। ज़ाहिरी तौर पर जनताकी सहानुभूति प्राप्त करने और अपनी प्रबन्ध संबंधी दक्षता के प्रदर्शन के लिये नुमायशी पुरोग्राम बनाये जाने लगे और वास्तविक कार्यों तथा प्रचार की ओर उदासीनता रहने लगी। वार्षिक उत्सव की जगह प्रदर्शनी ने ली और प्रचार की जगह अखबारों ने। साप्ताहिक अधिवेशनों में उपस्थिति चार पांच और निर्वाचनार्थ साधारण सभा में आठ या सात सभासदों की हाज़री रहने लगी। वर्ष में दो तीन अंतरङ्ग सभायें होतीं और हिसाब आदि वर्षों तक पेश न होता था। चन्दे के रजिस्टर के अतिरिक्त अन्य रजिस्टरों का रक्खा जाना अनावश्यक समझा जाने लगा। दयानन्द सप्ताह, वेद प्रचार सप्ताह आदि नियमानुसार मनाया जाना तथा नियमोपनियमों की पावन्दी का ध्यान रक्खा जाना

छूट गया। केवल स्वार्थ, पद लोलुपता, नुमायशं, डिप्लोमैसी इत्यादि की मात्रा दिन प्रति दिन बढती गयी और इस तरह आर्य समाज की वास्तविक उन्नति में ब्रेक लगाया गया परन्तु बाहरी टीप टाप के द्वारा समय २ पर कुछ चहल पहल का जाती रही।

प्रतिनिधि सभा से समाज का सम्बन्ध

प्रांतीय प्रितिनिधि सभा से यद्यपि यह समाज १८९८ई० में संबंधित हो चुका था परन्तु मालूम होता है कि सभा ने भी कदाचित इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। यह समाज १०००) की कोटि में रक्खा गया था परन्तु मूल धन चुकाने की तो अलग रही केवल सूद के ही ११००) सभा के प्राप्तव्य जमा होगये जिनकी अदायगी का आज तक ध्यान नहीं दिया गया। निरीक्षण गत वर्ष तक एक भी नहीं हुआ न पिछले पन्द्रह बीस वर्ष से कोई रजिस्टर ही नियमानुसार रक्खा गया। आर्य सभासदों तथा सहायकों का विभाग जाता रहा। कभी २ तो बार्षिक निर्वाचन ही नहीं किया गया। अधिकारियों को परिवर्तन का नाम तक नहीं लिया गया। लोगों ने अधिकारियों को महन्त और समाज को उनकी मौरूसी गद्दी समझकर समाज में जाने तथा सामाजिक कामों में दख़ल देने की

जुर्रत न की और यदि किसी ने की भी तो "सज्जादा नशीनों" की लाग डांट ने उन्हें तुरन्त ही ऐसा ढीला किया कि फिर उस ओर जाने की हिम्मत न हुई। परिस्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती गई और अन्त को कुछ लोगों ने इन गद्दियों को तोड़ने का इरादा किया। अपने सिंहासनों को एक दम डगमगाता हुआ देख कर इनके क्रोध का वारा पार न रहा और उन्हों ने यह समझते हुए कि शायद हमारे इस कहने पर कि "अच्छा तो लो हम इस्तीफ़ा दिये देते हैं" लोग डर जायगें और फिर हमारी खुशामद करते फिरेंगे यह ऐलान कर दिया कि हम पद छोड़रहे हैं अब नौ जवानों को मैदान में आना चाहिये हम बहुत दिन रह चुके अपनी ज़िंदगी का "बेहतरीन हिस्सा" समाज सेवा में लगा चुके अब दूसरों को भी हाथ बढ़ाना चाहिये।

पुराने अधिकारियों का पद त्याग।

बाबू जगन्नाथ शरणजी तथा बाबू केदारनाथ जी भूत-पूर्व प्रधान मन्त्री ने क्रमशः चौदह वर्ष और तीन चार वर्ष उक्त पदों पर आरूढ़ रहने के उपरांत पद त्याग करने का ऐलान किया परन्तु जब पदों के परिवर्तन की चर्चा चली तो अवस्था कुछ और ही निकली। वार्षिक अधिवेशन में पदों में तबदीली हो ही गई परन्तु सुलगती हुई आग एक

दम धधक उठी और बिजनौर के सामाजिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने पर उतारू होगई। १८ सितम्बर १९३२को चौधरी शूरवीर सिंह बी० ए० एल० एल० बी० प्रधान तथा बा० ध्यानसिंह जी मन्त्री निर्वाचित हुए। बा०जगन्नाथ शरण जी तथा बाबू केदारनाथ जी ने उसी दिन से उनके खिलाफ़ लड़ाई का बिगुल बजा दिया और मैदान जंग में उतर आये। एक प्रेस जो बाबू जीराजसिंह जी वकील ने आर्यसमाज को दान कर दिया था उसीसे भूतपूर्व प्रधान बा० जन्नाथशरण जी ऋषि अखवार समाज की ओर से अपने सम्पादकत्व में निकालते थे इसी ऋषि अखवार द्वारा आपने खास ढंग से प्रोपेगेंडा आरम्भ कर दिया और सामाजिक कार्यों में रुकावटें और अड़चनें उपस्थित कीं।

चौदह साल तक मनमानी करने के बाद चार्ज देते समय भी कोई बात नहीं समझाई न हिसाब बतलाया गया न काग़ज़ात दिखलाये गये। अतएव नये अधिकारियों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। यों तो किसी सहयोग की ऐसी अवस्था में आशा की ही नहीं जा सकती थी परन्तु कई बार उद्योग किया गया कि किसी तरह शांत होकर यह महानुभाव भी कुछ दिनों पद छोड़ कर समाज सेवा करें परन्तु सफलता प्राप्त न हुई। गत वर्ष के हालात विस्तार पूर्वक आर्य समाज बिजनौर के वार्षिक वृत्तान्तमें

दिये गये हैं, जिनको पढ़ कर ज्ञात होगा कि अधिकारियों को कैसी२ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परन्तु यहां की परिस्थिति को सुधारने की सद्भावना को लेकर प्रांतीय प्रतिनिधि सभा के जिम्मेदार अधिकारियों की सेवा में तमाम परिस्थिति को लिख कर भेजा गया इस पर जो उक्त सभा के अधिकारियों ने किया है उसका दिग्दर्शन आगामी पंक्तियों से होगा। आशा है कि पाठकवृन्द इनको आद्योपांत पढ़ कर विचारेंगे कि क्या वस्तुतः प्रांतकी शिरोमणि धार्मिक संस्था के उक्त अधिकारियों का यह निर्णय न्याय युक्त तथा समाज के गौरव को बढ़ाने तथा उसके संगठन को दृढ़ बनाने वाला है या नहीं इस पर पाठक वृन्द ही विचार करें।

गत वर्ष समाज के अधिकारियों ने श्री मन्त्री जी आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रांत को सूचना दी थी कि बाबू जगन्नाथ शरण तथा बाबू केदारनाथ जी और उनकी पार्टी के कुछ लोग सामाजिक कार्यों में बाधायें डाल रहे हैं, और पिछला हिसाब नहीं देते न हालात बतलाते हैं समाज के विरोध के ख्याल से अलहदा ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं। जिनसे समाज का कार्य न चल सके और अन्त को परेशान होकर लोग पुनः उन्हें ही अधिकारी बना दें। उदाहरण के तौर पर कुछ एक बातें निम्न प्रकार थीं:—

१ श्रीयुत बाबूराम जी बाश्टा निवासी द्वारा प्रदत्त ३००) रु० का हिसाब पूरा नहीं मिलता।

२ श्रीयुत बाबू केदारनाथ जी के नाम २८८) रु० शेष निकल रहे हैं जिनका हिसाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ।

३ श्रीयुत बाबू नन्दकिशोर जी के नाम ६७।)॥ निकलते हैं जिनके प्रामेसरी नोट जोकि बाबू जगन्नाथशरण के नाम था मियाद गुज़र जाने दी गई।

४ पिछले तीन बर्ष का हिसाब तथा वार्षिकोत्सव का हिसाब अन्तरङ्ग में नहीं रक्खा गया न पास हुआ।

५ भोगपुर ग्राम की जायदाद की आमदनी पिछले पांच छः सालकी समाजके कोष में जमा नहीं हुई, यद्यपि मालगुज़ारी समाज के कोष से अदा की गई।

६ ऋषि प्रेस आर्य समाज बिजनौर को दान में मिला है परन्तु बाबू जगन्नाथ शरण जी तथा बाबू केदारनाथ जी पदाधिकारी न रहने पर भी उसे समाज को नहीं देते बल्कि कहते हैं कि यह प्रेस समाज का नहीं है।

७ मुं०मुरारीलाल जी के ट्रस्ट का जिसका एक ट्रस्टी प्रधान आर्य समाज बिजनौर होता है कोई हिसाब नहीं दिया गया। उसका रुपया बाबू जगन्नाथ शरण जी ने बिना अधिकार के ट्रस्टियों की अनुमति लिये विना ही व्यय कर

दिया, यद्यपि ट्रस्टनामे की शर्त के बमूजिब यह रुपया स्व० चन्द्रभूषण जी के नाम से वेद प्रचार या वैदिक पाठशाला में लगाना चाहिये था।

८ अधिकारी न रह कर उक्त दोनों सज्जनों ने आर्य्य-समाज में अनुचित पार्टी, बाज़ी फैला रक्खी है और वर्तमान अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं।

९ ऋषि अखबार की साल गिरह के बहाने एक प्रदर्शनी की जा रही है जो केवल आर्यसमाजकी अर्ध शताब्दी को धक्का पहुँचाने की नीयत से की जाने वाली है।

१० उक्त दोनों सज्जनों ने नियम विरुद्ध तरीक़े पर दो तीन मीटिंग करके अधिकारियों के परिवर्तन के झूठे ऐलान कर दिये हैं इत्यादि इत्यादि। उपरोक्त शिकायतों की जाँच के लिये श्री बाबू उमाशंकर जी मंत्री बिजनौर पधारे और कई दिन तक जांच करते रहे। बाबू जगन्नाथ शरण जी ने सार्वदेशिक सभा तथा प्रतिनिधि की आज्ञाओं की अवहेलना करके ऋषि की साल गिरह का प्रोग्राम जारी रक्खा, और बाबू उमाशंकरजी को ओ३म् का झंडा फहराने और उस नुमायश में समाज के नाम पर वेद प्रचार की अपील करने के लिये निमंत्रित किया और मन्त्रीजी ने आर्य समाज के अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी उसको स्वीकार किया। इस प्रदर्शनी में आर्य समाज के

नाम से रुपया वसूल किया गया, और आर्यसमाजको रसी-द बहियों से जो कदाचित् पहिले से बाबू जगन्नाथ शरण तथा बाबू केदारनाथ जी के पास थीं रसीद दी गई। आज तक इस रुपये का जमा खर्च आर्य समाज के रजिस्टरों में नहीं लाया गया, हालांकि बाबू उमाशंकर जी ने अन्वेषण के पश्चात् इस प्रदर्शनी के पुरोगम को आर्य समाज बिज-नौर से अस्वीकृत और अनियमित बतलाया।

श्रीमंत्री जी सभा का फ़ैसला

अपने १०।२।३३ के निर्णय में बाबू उमा शङ्कर जी ने उन तमाम कार्य वाहियों को जो अधिकारियों के विरुद्ध बाबू जगन्नाथ शरण और उनकी पार्टी ने की थीं नियम विरुद्ध ठहराया और उसी निर्वाचन को सही समझा जो वार्षिक अधिवेशन में १८।९।३२ को हुआ था। ऋषि प्रेस को समाज की संपत्ति क़रार दिया और ऋषि अखबार की पालसी तथा प्रबन्ध को समाज की अंतरङ्ग के आधीन रक्खा। परन्तु गत वर्ष तक के लिये प्रधान आर्य्य समाज बाबू जगन्नाथ शरण तथा बाबू केदार नाथ जी की एक उप कमेटि प्रेस के प्रबन्ध के लिये स्वयं बनाई। अपने निरीक्षण नोट में साफ़ तौर पर समाज की वर्तमान दीन अवस्था को दर्शाते हुए दुःख प्रकट किया

और भविष्य में कार्य को नियमानुसार चलाने के हेतु प्रधान मंत्री को आदेश किया और विशेषतयः आर्य सभासदों तथा सहायक सभासदों के विभाग करने और सब प्रकार के रजिष्टर नये बनाये जाने की प्रेरणा की। ऋषि की साल गिरह को अनियमित बतलाते हुए आर्य्य समाज की अर्ध शताब्दी समारोह पूर्वक मनाये जाने का आदेश किया और मंदिर की इमारत की आवश्यक मरम्मत आदि के लिये हिदायत की। इस प्रकार उन्होंने उन सब शिकायतों को सही मानते हुए अपने निर्णय में बाबू जगन्नाथ शरण आदि के बर्ताव और कार्य को अनुचित नियम विरुद्ध घोषित किया। परन्तु खेद है कि उपरोक्त शिकायतों में से आय व्यय संबन्धी, जायदाद और ट्रस्ट संबन्धी मुआमलात का कोई ज़िक्र नहीं किया। केवल ऋषि प्रेस को तुरन्त समाज में लगा देने का बाबू केदार नाथ जी को हुक्म दिया इसके साथ ही साथ न मालूम किन विशेष कारणों से उन्होंने गत वर्ष के अधिकारियों के उन कामों की जो उन्हें अपने उत्तर दाइत्व के कारण समाज को बाबू जगन्नाथ शरण आदि के गंदे पोपे गेन्डे से बचाने के लिये करने पड़े निन्दा की दृष्टि से देखते हुए उनकी बुराई की और बाबू जगन्नाथ शरण आदि की सेवाओं की प्रशंसा करते हुए उन्हें सच्चे आर्य्य मिशनरियों की उपाधि प्रदान

की। यद्यपि आर्य्य समाज के कार्यों में अनुचित लिपा पोती को पालिसी कभी भी लाभ पहुंचाने वाली नहीं हो सकती परन्तु उन्होंने यह न सोच कर कि यह (Dual Policy) आगे चलकर झगड़ों के बढ़ाने का कारण बनेगी अपने फैसले में दोनों पक्षों की थोड़ी २ निन्दा करके अपने विचार में खालिस न्याय ही किया। समाज के अधिकारियों ने कई बार पत्र द्वारा उपरोक्त शिकायतों की बाबत उनका ध्यान आकर्षित कराया परन्तु हर बार उन्होंने यही लिख दिया कि यह मामूली २ बातें हैं। ऋषि प्रेस को भी उन के आदेशानुसार बाबू केदार नाथ जी ने समाज में लगाने से इंकार कर दिया तो श्री मंत्री जी पूरे सात आठ महीने खामोश बैठे रहे और किंचित मात्र भी अपने फ़ैसले को कार्य्य रूप में परिणित कराने का उन्हों ने उद्योग नहीं किया। समाज से भेजे हुए पत्रों का उत्तर देना भी बन्द कर दिया गया। बाबू जगन्नाथ शरण आदि ने उक्त मंत्री जी के फ़ैसले को यक तरफ़ा और नियम विरुद्ध बतलाया और उसके उन भागों को जिनमें अधिकारियों की बुराइयां लिखी थी ऋषि अखबार में श्री मंत्री जी की स्पष्ट आज्ञा को ठुकरा कर प्रकाशित कराया। इन सब बातों की सूचना उन्हे दी जाती रही और अधिकारी उनके फ़ैसले के सामने

हर समय सर झुकाते रहे परन्तु मंत्री महोदय को अपने अन्य आवश्यक कार्यों के कारण शायद इधर का ध्यान भी न आया।

मंत्री जी के निर्णय पर नये अधिकारियों का अमल

बाबू उमाशंकर जी मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभाके फ़ैसले और आदेशानुसार अर्धशताब्दी मनाई गई, मरम्मत भी लगभग २००) व्यय कर के करा दी गई। रजिस्टर भी नियमानुसार सब खोले गये और दयानन्द सप्ताह वेद प्रचार सप्ताह आदि सभाकी भ्रमण पत्रिकाओं में दिये हुए प्रोग्राम के अनुसार मनाये गये। आर्य सभासदों तथा सहायकों का विभाग सदाचार शतांश आदि का विचार रखते हुये किया गया और फ़ाइलों की पूर्ति आदि का उद्योग किया गया। संक्षिप्त में उन तमाम त्रुटियों को जो निरीक्षण नोट में मंत्री महोदय ने दिखलाईं थीं दूर करने का यथा शक्ति प्रयत्न किया गया।

मन्त्री सभाके निर्णय के बाद बाबू जगन्नाथ शरण जी व उनके साथियों का बर्ताव

बाबू जगन्नाथ शरण जी और उनके मित्र निर्णय के

पश्चात् बिल्कुल उदासीन हो गये और उन्होंने समाज में आना जाना या कार्यों में भाग लेना बिल्कुल पसन्द न किया। केवल कभी२ ऋषि अख़बार में आर्य समाज के विरुद्ध लेख निकाल कर अपनी भड़ास निकालते रहे। परन्तु ज्यों २ निर्वाचन का समय निकट आता गया उन का प्रोपेगेन्डा ज़ोर पकड़ता गया आख़िरकार उन्होंने आर्य सभा सदों तथा सहायकों के विभाग को आगे रख कर कुछ एक व्यक्तियों से एक शिकायती चिट्ठी प्रतिनिधि सभा को भिजवाई जिस पर उनके (बाबू जगन्नाथशरण) मुहर्रिर ने कई सज्जनों से यों ही बिना देखे दस्तख़त करा लिये। यह चिट्ठी पहुँचते ही श्री बाबू उमाशंकर जी मंत्री सभा अपनी सुषुप्त अवस्था से एक दम जाग्रत हुए और उन्हों ने तुरन्त ही सुर्ख़ रोशनाई से अर्जेन्ट लिखकर अधिकारियों से जवाब तलब किया। चौधरी शूरवीरसिंह जी प्रधान तथा बाबू ध्यानसिंह जी मंत्री २० अगस्त १९३३ को जब कि सभा की अंतरङ्ग होरही थी आगरे पहुँचे और सब काग़ज़ात आदि लेगये परन्तु मंत्री महोदय न जाने क्यों अप्रसन्न दीख पड़े और उन्हों ने स्वयं कुछ न सुनकर श्री बाबू पूर्णचन्द्र जी प्रधान आर्यप्रतिनिधि सभा को हालात सुनाने के लिये कहा। तदुपरान्त प्रधान जी सभा की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन करना चाहा परन्तु समया

भाव के कारण उन्हों ने भी यह आज्ञा दी कि बाबू श्रीराम जी जब बिजनौर पधारेंगे तभी यह देखा जावेगा कि बाबू जगन्नाथशरण जी आदि ने फ़ैसले पर क्यों अमल नहीं नहीं किया और जो झगड़े हैं उन्हें भी वह शांत कराने का उद्योग करेंगे। इस तरह निज से ३०) या ३५) व्यय कर के बिजनौर समाज के अधिकारी लौट कर आगये।

श्री बाबू श्रीराम जी का आगमन

बाबू श्री रामजी अर्ध शताब्दी के लिये धन संग्रह कर रहे थे, अतएव वह एक मास की प्रतीक्षा के पश्चात् एक दिन अकस्मात बिजनौर पधारे। और रायबहादुर बाबू हर-प्रसाद जी की कोठी पर क़याम किया। सायं काल को समाज मंदिर में कुछ सज्जन एकत्रित हुए। घंटों तक आपकी स्पीच हुई जिसमें आपने कहा कि मैं कोई निर्णय देने नहीं आया, न मुझे अधिकार हैं मैं तो केवल शांति स्थापित कराना चाहता हूँ, यह तभी हो सकता है जब आप सब लोग मिल जावें और परस्पर प्रीति पूर्वक एक होकर अर्ध-शताब्दी को चलें। मैं न यह देखूंगा कि पिछले क्या झगड़े हैं, न यह सुनूंगा कि फ़ैसले पर अमल हुआ या नहीं। इस वार्तालाप में अर्ध रात्रि का समय हो गया। प्रातः काल की गाड़ी से आप चले गये, और यह वायदा

कर गये कि एक बार फिर निर्वाचन से पांच छः रोज़ पहले मैं आकर झगड़ा शांत कराने का प्रयत्न करूंगा ।

अपने कथनानुसार पांच छः दिन पूर्व न आकर वह ठीक निर्वाचन वाले दिन २९-१०-३३ को पधारे । अधिवेशन दो बजे आरम्भ होने वाला था, आपने आते ही यह फ़रमाया कि चन्दे के रजिस्टर में जिनका भी नाम है चाहे वह आर्य सभासद हैं या सहायक, या जिनके नाम पृथक कर दिये गये हैं उन सबको शामिल करके निर्वाचन कर लो । इस सिलसिले में एक या दो घंटे तक वह वार्तालाप भी करते रहे, परन्तु यही कहते रहे कि मैं अन्तरङ्ग के निश्चयों को नियम बिरुद्ध नहीं बतलाता, मैं कोई निर्णय नहीं देता न मुझे अधिकार है केवल यह चाहता हूं कि आप सबको सम्मलित करके चुनाव कर लें, और जो आप की शिकायतें हैं वह फिर देखी जायेंगी । चौ० शूरवीर सिंह प्रधान ने विनम्र निवेदन किया कि अन्तरङ्ग सभा में स्वयं बाबू जगन्नाथ शरण और केदारनाथ जी आर्य सभासदों और सहायकों के विभागको स्वीकार करके नियमानुसार बतला चुके हैं किसी अन्य सज्जन को इसमें आपत्ति न थी, इस समय जनरल सभा भी उक्त विभाग को शिथिल करने के लिये तैयार नहीं, पुराने अधिकारी पदों

के लिये उम्मीदवार नहीं हैं, अतएव कोई पार्टीबाज़ी का सवाल पैदा नहीं होता मैं बहैसियत प्रधान अन्तरङ्ग के निश्चय को नहीं बदल सकता हूं यदि आपको अधिकार हो तो आप बतलावें और मुझे लिखित आज्ञा दें, मैं कुछ न कहूंगा। परन्तु बाबू साहब ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। बाबू जगन्नाथ शरण और उनके मित्र तुरन्त यह कह कर उठ गये "बाबू जी चलिये हम प्रतिनिधि की तौहीन नहीं बरदाश्त कर सकते" आदि। बाबू साहब चले गये। इसके पश्चात् उसी समय २९ अक्टूबर सन् ३३ को कोरम पूरा होने के कारण समाज के अधिकारी व अन्तरङ्ग कदस्यों का चुनाव इस प्रकार हुआ। श्री बाबू शूरवीर सिंह जी प्रधान के स्थान पर चौ० रघुराजसिंह जी रईस प्रधान चुने गये। श्री बाबू ध्यानसिंह जी मंत्री के स्थान पर बाबू गंगाशरण जी मुख्तार मंत्री चुने गये। आदि २

सुना है कि बाबू जगन्नाथ शरण के विशेष आग्रह पर चलती ट्रेन से एक पर्चे पर यह लिख कर फेंक गये कि आर्य समाज के अधिकारियों ने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, अगर चुनाव होगा तो अनुचित होगा।

सुना है कि उक्त बाबू साहबने कोई रिपोर्ट प्रतिनिधि की अन्तरङ्ग में पेश की जिसकी कोई प्रतिलिपि समाज के अधिकारियों को नहीं भेजी गई न उनसे कुछ पूछ ताछकी

गई और एक तरफ़ की बात पर ही २६ । ११ । ३३ की इलाहाबाद वाली अन्तरङ्ग में सभा ने प्रस्ताव पास करदिया कि आर्य समाज बिजनौर के अधिकारियों ने बाबू श्रीराम जी की आज्ञाओं का उलंघन किया और उनके साथ अनुचित बर्ताव किया । निर्वाचन जो २९ । १० । ३३ को हुआ है वह अनियमित है अतः अब मंत्री जी कोई तिथि निवार्चन के लिये निश्चित करके किसी अन्तरङ्ग सभासद को बिजनौर भेजें और वह सब को सम्मिलित करके निर्वाचन करादें यदि आर्यसमाज बिजनौर ऐसा न करेगी तो सभा विवश होगी कि समाज को पृथक करदे और उसके प्रतिनिधियों को सभा के बृहद अधिवेशन में सम्मिलित न होने दें । आर्यसमाज बिजनौर की अन्तरङ्ग सभा ने सभा के इस निश्चय को अनियमित समझते हुए और २९ । १० । ३३ के निर्वाचन को ठीक समझते हुए सभा को सूचित कर दिया कि आर्यसमाज बिजनौर इस निश्चय पर अमल करने में असमर्थ है । यह भी निवेदन किया गया कि सभा का निश्चय कि समाज को प्रथक कर दिया जावेगा या प्रतिनिधि न लिये जावेंगे ठीक नहीं । नियमानुसार निर्वाचित प्रतिनिधि अवश्य अधिवेशन में शामिल हो सकते हैं । एक तार भी मंत्री महोदय की सेवामें भेजा गया किन्तु उत्तर कुछ न मिला ।

श्री बा० परमानन्दजी उपमन्त्री सभाका आगमन

१०।१२।३३ को सभा की ओर से श्रीयुत बाबू परमानन्द जी सिन्हा बिजनौर पधारे और उन्हों ने कहा कि मैं आज सब को शामिल करके निर्वाचन करा कर जाऊँगा। श्रीयुत चौधरी रघुराजसिंह जी प्रधान ने उनसे कहा कि आर्यसमाज बिजनौर की अंतरंग का निश्चय भेजा जाचुका है। प्रतिनिधि के प्रस्ताव से भी यह सवाल पैदा नहीं होता कि आप निर्वाचन करावें हम उसमें शरीक नहीं हो सकते न ऐसी मीटिंग की ही समाज में आज्ञा दे सकते हैं। हां यदि आपको नियमानुसार अधिकार हो कि आर्यसमाज के निर्वाचन को मंसूख करके तथा आर्यसमाज के उपनियमों में दी हुई १ मास के नोटिस आदि की बात को भी हटा कर सभा के खुद के प्रस्ताव के खिलाफ़ ऐसा करने का अधिकार है तो बतलाइये। परन्तु उन्हों ने कुछ न बतलाया और बाबू जगन्नाथशरण जी के मकान पर कुछ लोगों को जमा करके कुछ कार्यवाही की जिस को "नियमानुसार निर्वाचन" का नाम दिया गया। जहाँ तक मालूम हुआ श्रीमान जी के सामने कोई चन्दा वसूल नहीं किया गया कुछ एक अनुपस्थित सज्जनों की हाज़री भी लिख ली गई और फ़ौरन उक्त निर्वाचन की कार्यवाही मुकम्मिल

करा दी गई। जिसमें बाबू केदारनाथ जी प्रधान और डाक्टर ओम्प्रकाश जी मन्त्री बनाये गये।

बाबू केदारनाथ जी तथा बाबू जगन्नाथशरण जी प्रतिनिधि चुने गये, और यह तय हुआ कि कुछ सभासदों के और दस्तखत करा लिये जावें ताकि दो प्रतिनिधियों का निर्वाचन नियमानुसार समझा जावे। यहां यह कह देना भी अनुचित न होगा कि उस दिन समाज मंदिर में श्री सिन्हा जी की मौजूदगी में संभवता बा० जगन्नाथशरण जी की पार्टी के निमन्त्रण पर पुलिस भी पहुंच गई थी।

उपरोक्त पंक्तियों से सभा के ज़िम्मेदार अधिकारियों के उत्तर दाइत्व पूर्ण कर्तव्य पालन का खूब दिग दर्शन हो सकेगा। क्या वस्तुतः बाबू परमानन्द जी सिन्हा यह समझते हैं कि उनके इस कार्य से आर्य समाज बिजनौर का झगड़ा शांत होगया और क्या संयुक्त प्रांत की शिरोमणि सभा श्रीमती आर्य्य प्रतिनिधि सभा इस पर अपनी स्वीकारी की मुहर लगाकर अपने "उत्तर दाइत्व एवं गौरव का परिचय" देना चाहती है? यदि हां तो सभा की वर्तमान अवस्था में यही कहा जा सकता है।

चूं कुफ़ अज़ काआबः बरख़ेज़द कुजा मानद मुसलमानी

हम सभा से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि उसे अपने अधिकारियों से सीमा बद्ध होकर आर्य समाज के

हित में ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों एवं सत्य नियमों के अनुसार पक्षपात और व्यक्ति गत (Favouritism) को छोड़ कर और अपना अंदरूनी पार्टी बन्दी से ऊंचा उठकर न्याय युक्त तरीक़ों पर सामाजिक मुआमलात को तै कराने की चेष्टा करनी चाहिये अन्यथा हित के बदले अहित होगा सभा और समाजों का गौरव जाता रहेगा सङ्गठन छिन्न भिन्न होगा और ऋषि दयानन्द के मिशन को धक्का लगेगा। प्रतिनिधि सभा को समाज के नियमों तथा वैदिक सिद्धान्तों का सच्चे मानों में संरक्षक होने की आवश्यकता है यदि सभा भी व्यक्ति गत Favouritism और पार्टी बन्दी से ऊंचा नहीं उठ सकती तो उसे समाजों के झगड़ों में पड़ना उचित नहीं।

अन्त में हम पाठकों से भी निवेदन करेंगे कि वह उपरोक्त बातों पर विचार करें और सभा के गौरव और उत्तर दाइत्व को दृष्टि में रखते हुए देखें कि वस्तुतः दशा शोचनीय है ऐसी अवस्था में उनका क्या कर्तव्य है ?

भवदीय

रघुराजसिंह प्रधान

गङ्गा शरण मंत्री

आ० स० बिजनौर।

हम आर्यसमाज बिजनौर के अधिकारी तथा सभासद व सहायक गण श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्तप्रान्त को यह सूचना देते हैं कि ता० १० दि० सन् १९३३ ई० को जो निर्वाचन श्री बा० परमानन्द जी उपमन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभाने बिजनौर आर्यसमाज के नाम से श्री बा० जगन्नाथशरण जी वकील के स्थान पर २० अनधिकारियों की चेष्टा से कराया है वह अनुचित तथा नियम विरुद्ध होनेके कारण आर्यसमाज बिजनौर का निर्वाचन नहीं है कारण कि जो उक्त चुनाव में उपस्थित थे उनमें अधिकांश वह सज्जन थे जो आर्य सभासद नहीं हैं या जिनका १२ माह का चन्दा समाप्त नहीं हैं।

उपरोक्त निर्वाचन में कुछ अनुपस्थित आर्य सभासदों के नाम भी लिखे गये हैं और न इस तारीख की सूचना ही १मास पूर्व समस्त आर्य सभासदों को दी गई थी अतएव बा० जगन्नाथ शरणजी व श्री बा० केदारनाथजी जो नियम विरुद्ध श्रीमती आर्य प्रतिनिधि सभाके लिये प्रतिनिधि सभासद इस निर्वाचन में चुने गये हैं वह आर्यसमाज बिजनौर के प्रतिनिधि नहीं हैं।

पं० रामस्वरूप वकील आर्यसभासद भूतपूर्व प्रधान, बा० गंगाशरण रस्तोगी मंत्री आर्यसमाज बिजनौर, प० बाबूराम मुख्तार आर्य सभासद, बा० जियालाल उपप्रधान आर्यसमाज बिजनौर, चौ० परमसिंह जी अन्तरंग सभासद, बा० काशीनाथ वकील उपप्रधान मु० मलखचन्द्र आडीटर आर्य स० बा० राजारामजी आर्यसभासद, बा० महेशप्रसाद गर्ग कोषाध्यक्ष, बा० रामचन्द्र गुप्ता पूर्व उपप्रधान, चौ० रघुराजसिंह प्रधान आ० स० बिजनौर, पं० तुलाराम आर्यसभासद, मु० भोलानाथ पुस्तकाध्यक्ष, चा० शूरवीर सिंह पूर्व प्रधान आ० स० बिजनौर, ला० बैजनाथ सौदागर, रामकिशन खन्ना पंसारी, म० पूरणसिंह, म० कालेसिंह, बा० रामगोपाल रस्तोगी उपमंत्री आ० स० बिजनौर, सेठ ध्यानसिंह जी भूतपूर्व मंत्री आ० स० बिजनौर, बा० रतनलाल जी गोयल,